



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228066
CG-DL-E-01072021-228066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]
No. 374]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 464(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तराखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उत्तराखंड" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"उत्तराखंड"

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	69
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, यूजेवीएनएल	1

अपर मुख्य सचिव एवं आईडीसी/एफआरडीसी	1
सरकार के प्रधान सचिव	2
प्रधान सचिव, कार्मिक, जीएडी, एसएडी, एचआरडी सतर्कता एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
प्रधान सचिव, गृह कारागार एवं होम गार्ड्स	1
राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष	1
प्रधान सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	1
प्रधान सचिव, उद्योग वाणिज्य एवं नागरिक उड्डयन	1
प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण	1
आवासीय आयुक्त	1
सरकार के सचिव	4
सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	1
सचिव, गृह एवं आपदा प्रबंधन	1
सचिव, वन एवं वाटरशेड	1
सचिव, आईटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1
सचिव, लोक निर्माण विभाग	1
सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति	1
सचिव, परिवहन, शहरी विकास एवं आवासन	1
सचिव, खेल एवं युवा कल्याण मामले	1
सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्यमंत्री के सचिव	1
आयुक्त, गढ़वाल एवं शहरी विकास आयुक्त	1
आयुक्त, कुमाऊं एवं निदेशक एटीआई	1
सचिव, वित्त एवं उत्पाद शुल्क	1
सचिव, विद्युत	1
सचिव, पर्यटन एवं जैव-पर्यटन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास बोर्ड	1
निदेशक, उद्योग एवं प्रबंध निदेशक एसआईडीसीयूएल	1
आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं डीजी शिक्षा	1
निदेशक, संस्कृति एवं खेल	1
परिवहन आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम	1
महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (डीआईपीआर)	1
पंजीयक, सहकारिता, आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं कर एवं आईजी, स्टैम्प एवं पंजीकरण	1
जिलाधिकारी	13
अपर सचिव	10
उपाध्यक्ष, एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण)	1

	मुख्य विकास अधिकारी	4
	नगरपालिका आयुक्त, नगरपालिका निगम देहरादून	1
	वीसी, एचडीए, हरिद्वार	1
	प्रबंध निदेशक, जीएमवीएन	1
	प्रबंध निदेशक, केएमवीएन”	1
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	69
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	27
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	17
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	02
5.	छूटी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	11
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली - 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33½% से अधिक नहीं)	38
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	88
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	126”

[फा. सं. 11031/01/2020-अ.भा.से. -II(क)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, उत्तराखंड भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पदसंख्या 120 थी।

टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22.10.1955 को एस.आर.ओ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखंड संवर्ग से संबंधित संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा किए गए: -

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	805(अ)	21.10.2000
2.	806(अ)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231अ	27.03.2008
5.	188(अ)	24.03.2009
6.	617अ	23.07.2010
7.	1023(अ)	30.12.2015

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

G.S.R. 464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Uttarakhand**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Uttarakhand” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Uttarakhand”

	Senior Duty Posts under the State Government	69
	Chief Secretary & Chairman UJVNL	1
	Additional Chief Secretary & IDC/FRDC	1
	Principal Secretary to Government	2
	Principal Secretary, Personnel, GAD, SAD, HRD Vigilance & Chief Electoral Officer	1
	Principal Secretary, Home Jail & Home Guards	1
	Chairman Board of Revenue	1
	Principal Secretary, Forests & Rural Development Commissioner	1
	Principal Secretary, Industry Commerce & Civil Aviation	1
	Principal Secretary, Social Welfare, Women Empowerment & Child Development, Minority Welfare	1
	Resident Commissioner	1
	Secretary to Government	4
	Secretary, Rural Development & Panchayati Raj	1
	Secretary, Home & Disaster management	1
	Secretary, Forest & Watershed	1
	Secretary, IT Science & Technology	1
	Secretary, PWD	1
	Secretary, Health, Medical Education, Food & Supplies	1
	Secretary, Transport, Urban Development & Housing	1
	Secretary, Sports & Youth Welfare	1
	Secretary, Irrigation Minor Irrigation & Drinking Water	1
	Secretary to Governor	1
	Secretary to Chief Minister	1
	Commissioner, Garhwal & Rural Development Commissioner	1
	Commissioner, Kumaun & Director ATI	1
	Secretary, Finance & Excise	1
	Secretary, Power	1
	Secretary, Tourism and Ecotourism & CEO Tourism Development Board	1
	Director, Industries & MD SIDCUL	1
	Commissioner, Labour and Director, Training & Employment & DG Education	1
	Director, Cultural & Sports	1
	Transport Commissioner & MD Transport Corporation	1
	Director General, Information & Public Relation (DIPR)	1
	Registrar, Co-operatives, Commissioner Excise, Taxes & IG Stamps & Registration	1
	District Magistrate	13
	Additional Secretary	10
	Vice Chairman MDDA (Mussoorie Dehradun Development Authority)	1
	Chief Development Officer	4
	Municipal Commissioner, Municipal Corporation Dehradun	1
	VC, HDA, Haridwar	1

	MD, GMVN	1
	MD, KMVN	1
1	Total Senior Duty Posts	69
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	27
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	17
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	02
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	11
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	38
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	88
	Total Authorised Strength	126”

[F. No. 11031/01/2020-AIS-II(A)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttarakhand IAS Cadre was 120.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttarakhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S.No.	GSR Nos.	Date
1.	805(E)	21.10.2000
2.	806(E)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231E	27.03.2008
5.	188(E)	24.03.2009
6.	617E	23.07.2010
7.	1023(E)	30.12.2015